

1/3/17

क संस्थान उपस्थित है। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है।
द्वितीय पक्ष उपस्थित है। एवं वाद की श्रावधि समाप्त
है। वाद में प्रथम पक्ष उपस्थित है। पीठासीन पक्ष
द्वितीय पक्ष उपस्थित है।

09

16.05.17 अगिलेख दिनांक 16.05.17 को खे।

अगिलेख उपस्थापित। उक्त पक्ष के श्रावधि के द्वारा हाजि
पेश किया गया है।

उक्त वाद की वैधानिक समायावधि 6 माह
समाप्त हो चुकी है एवं किसी भी पक्ष के द्वारा
श्रावधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया
है। अतः वाद की कार्टवाई समाप्त की जाती है।

16/5/17

2

3